

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—90 / 2023

पटना, दिनांक :—

श्रीमती अनामिका, राज्य-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनकी प्रथम संतान के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2498 दिनांक 12.04.2007 के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2025 से 10.11.2025 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / —

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा०—24—90 / 2023 19/12

पटना, दिनांक—05/05/25

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / विभागीय आई०टी० मैनेजर / लेखा शाखा एवं श्रीमती अनामिका, राज्य-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


30/04/2025

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।